Government of Bihar
Social Welfare Department

Notification

No. स0 क0 स्था0 10–28/2008 3639 **Patna, Dated–** 22.8.15

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to regulate the constitution and the procedure in it and other service conditions of Bihar Child Development Services Cadre under control of Department of Social Welfare.

Bihar Child Development Services Rules, 2015

Chapter - I

Preliminary.

1. **Short title, extent and commencement.** - (1) These Rules may be called "Bihar Child Development Services (appointment & service condition) Rules, 2015."

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions. - In these Rules, unless there is anything contrary to the subject or context**

(i) "Governor" means the Governor of Bihar;
(ii) "Government" means the Government of Biha.;
(iii) "Department" means the Social Welfare Department as specified in the Rules of Executive Business;
(iv) "Board of Revenue" means Board of Revenue under the Revenue and Land Reforms Department as specified in the Rules of Executive Business;
(v) "Commission" means the Bihar Public Service Commission;
(vi) "Cadre" means the Bihar Child Development Services Cadre;
(vii) "Member of Cadre" means a person appointed and earlier appointed and working on regular basis in the Bihar Child Development Services Cadre under the provisions of these Rules;
(viii) "Departmental Promotion Committee" means the committee duly constituted by the State Government for departmental promotion;
(ix) "Appointing Authority" means the Governor of Bihar;
(x) "Controlling Authority" means the Principal Secretary/Secretary of Social Welfare Department;
(xi) "Year" means Financial Year i.e. first of April to the thirty first of March next year;
(xii) "Subordinate Services" means a personnel of the cadre of Assistant Child Development Project Officer;

3. **Constitution of Services.** - (1)The officers earlier **appointed and working on the following posts on regular basis in this rule will be included in this cadre:-**

Sl	Designation
1	**2**
1	Child Development Project Officer
2	District Programme Officer /Assistant Director
3	Deputy Director
4	Joint Director

The number and pay-scale of different posts of this service will be same which will be determined by the government from time to time.

(2) This service shall be of State Level Service and shall be under the control of Social Welfare Department.

(3) The composition, number of posts etc of this cadre shall be reviewed by the committee comprising of the following members and it shall send its recommendations to the Government :-

(i) Principal Secretary/Secretary Social Welfare Department –**Chairman**

(ii) Director, I.C.D.S. **-Member**

(iii) An Officer not below the rank of Joint Secretary nominated by Department of Finance **-Member**

(iv) An Officer not below the rank of Deputy Director of Child Development Services Cadre nominated by the Social Welfare Department **-Member**

(v) Officer of SC/ST Category nominated by General Administration Department **-Member**

(vi) In-charge Establishment officer of Social Welfare Department **_ Member Secretary**

(4) The cadre officers shall be posted to the Cadre Posts. Non cadre officers may be posted to the cadre posts as per need by the Government.

CHAPTER - II

4. **Recruitment.** - (1) 75% of posts of basic grade of this service "Child Development Project Officers" shall be filled by direct recruitment on the recommendations of the Commission and 25% of the posts from the Subordinate services on the basis of seniority-cum-eligibility.

(2) All the posts of the service may be filled by the appointment of both men and women candidates.

(3) Provisions of reservation for the recruitment as well as promotion as notified by the State Government, from time to time, shall be applicable to this service.

5. **Qualification and Procedure of Direct Recruitment.** -

(1) Age Limit - Minimum age for direct recruitment shall be twenty one years on First August of the year of inviting applications and maximum age

shall be the same as may be determined by the General Administration Department of State Government, from time to time.

(2) **Qualification** - The minimum educational qualification for direct recruitment in the basic grade shall be Graduation from any recognized university. For direct recruitment in the service, Commission may arrange special or Graduate level Combined Competitive Examination consisting of compulsory subjects and at least one of the following optional subjects - (a) Home Science (b) Psychology (c) Sociology (d) Labour & Social Welfare.

(3) **Written Examination** - The Commission shall/will organize the written examination as per its own established procedure.

(4) **Interview** - The Commission shall/will organize the interview as per its own established procedure of selected candidates on the basis of marks obtained in Written Examination.

(5) **Medical Examination** will be conducted according to the provisions determined by the Commission.

(6) **Subject, Syllabus and determination of marks** - Determination of Subject for written examination, syllabus and the marks and determination of marks for interview shall be made determined by the Department in consultation with the commission.

(7) **Calculation of Vacancy and information to the Commission** - Department shall calculate the vacancy for the direct recruitment and recruitment by promotion in the Bihar Child Development Service in that year on the basis of 1st April of every year and shall senc the requisition to the Commission by the 30th April.

(8) **Recruitment** - The Commission shall recommend the names of the selected candidates in order of merit against the roaster wise vacant posts to the Department based on combined or separately held Competitive Examination.

6. **Recruitment by promotion from Subordinate Service.** - **(1)**The personnel working on the post of Assistant Child Development Project Officer of Subordinate Service will be promoted to the basic cadre on the basis of Seniority-cum-eligibility.

(2) Duration fixed by the General Administrative Department, continuous and satisfactory service on the posts of Assistant Child Development Project Officer shall be mandatory in order to be eligible for appointment by promotion.

(3) Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department for the appointment by promotion in the basic grade of Bihar Child Development services from the members of the subordinate service.

(4) For the recruitment by the promotion, all the provisions, related to Departmental Promotion Committee and other related provisions issued by General Administration Department will be applicable, from time to time.

CHAPTER- III

Seniority, Confirmation and Promotion

7. **Seniority.** - (1) The Inter se seniority among members of the cadre appointed by direct recruitment under these rules will be determined on the basis of merit list recommended by the Commission.

(2) The inter se seniority among the members appointed by promotion in retrasaction shall be determined on the basis of inter se seniority among them.

(3) Determination of inter se seniority among the officials recruited directly and those appointed by promotion to the basic grade - The employees appointed by promotion will be senior to the employees appointed by direct recruitment in that year.

(4) In case of any dispute, seniority of the members will be determined on the basis of Principles and procedures prescribed by the General Administration Department.

8. **Probation Period.** - (1) Each person appointed against the vacant post of basic grade (except promoted officer) will be on probation for a period of 2 years from the date of assuming charge.

(2) To obtain the following trainings will be mandatory during the Probation Period :-

(a) For Direct Recruited Officer -

(1) Institutional training	1 month
(2) Training by BIPARD	3 month
(3) Treasury training	1 month
(4) DPO office Training	1 month
(5) Independent charge of Anganwadi Sevika	1 month
(6) Independent charge of Lady Supervisor	1 month

(7) Child Development Programe Office training (Independent charge of ACDPO) 1 month

(8) Independent charge of CDPO 3 month

If the service of any person is not found satisfactory in the probation period, the probation period may be extended but under no circumstances the total period of probation shall exceed 3 years. If the services of the person is not found satisfactory after the end of the extended period, the services may be terminated.

(b) For Appointed Officers by Promotion :-

(1)	Institutional Training	1 month
(2)	Training by BIPARD	3 month
(3)	Treasury Training	1 month
(4)	DPO office Training	1 month

(3) After the first increment of the appointment in this service, the second increment will be given only after that the candidate qualifies the Departmental Examination in following subjects in higher grade (for SC/ST members as decided by General Administration Department) conducted by the Central Examination Committee of Board of Revenue and completion of Treasury Training-

(a) Hindi (Written)

(b) Hindi oral

(c) Accounts (With Book)

(d) Accounts (Without Book)

(e) In addition to above subjects, candidates shall have to qualify Computer Training Course from institution recognized by Government.

9. Confirmation (Except promoted personnel in the cadre). - After the completion of probation period, the person appointed on probation shall be entitled for confirmation, subject to the following conditions:-

(i) The passing of Departmental Examination as provided by the Department and Confirmation of Treasury Training by the Board of Revenue, Bihar.

(ii) After completion of probation period, the person appointed on probation shall be confirmed, subject to the standards prescribed in these rules and passing of Departmental Examination and Computer Training Course as prescribed.

(iii) Time to time undergone the training as provided and on completion of training, if any, examination has passed.

(iv) Their conduct and services had been found satisfactory in this period.

10. **Promotion.** - The appointment on the second chain of posts and all above posts of the chain of posts, it shall be made from among the Officers of the lower posts of chain of posts on the basis of seniority-cum-eligibility on the recommendation of Departmental Promotion Committee.

11. **Prescribed Kalawadhi.** - It shall be mandatory for the Officers to complete the minimum **kalawadhi** and satisfactory service on different posts, as prescribed by the General Administration Department on the lower posts of the chain of posts in order to be eligible for promotion to different posts/stages of this service.

12. **Departmental Promotion Committee.** - Departmental Promotion Committee will be constituted by the Department for promotion to the posts of different grades of this cadre.

CHAPTER-IV

Miscellaneous

13. **Training.** - (1) The member of this service will be sent for training by the State Government in the State or out of the State or to any foreign country. The evaluation made on completion of training shall be taken into account by the Departmental Promotion Committee at the time of promotion.

(2) It shall be mandatory for an officer (Basic Grade) after recruitment to undergo training as mentioned in rule 8 (2). It shall also be mandatory for an officer to undergo job training as determined, from time to time, by the Cer tral Government.

14. **Salary.** - The pay scale for posts of different grade will be the same as may be sanctioned or revised by the Government, from time to time. The fixation of salary of an officer in any pay scale will be done in accordance with the procedure prescribed by the Government.

15. **Service Period.** - The service period of officers recruited in this cadre will be either determined by the State Government or up to completion or execution period of project, which is earlier.

16. **Disciplinary, Appeal and Punishment.** - Provisions of Bihar Civil Service (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005 (as amended time to time) will be applicable to the members of this service.

17. **Residual issues.-** Those subjects or points not specifically covered by these rules, provisions made in relevant code/rules/resolutions by the State Government will applied in context of this service.

18. **Removal of difficulties/Doubts.-** If any difficulties/Doubts arises as to the interpretation of any of the provision of these rules, the power to remove them shall be vested with State Government.

19. **Repeal and Saving. -**

(1) All the Rules, Resolutions, Orders and Instructions related to the recruitment of Bihar Child Development Project Officers prior to the commencement of these rules are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any act done or any action taken under the Rules, Resolutions, Orders and Instructions prior to the commencement of these rules shall be deemed to be done or taken under these Rules as if it were come in to force on the day on which such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar

(Amarnath Mishra) 22/8/15

Additional Secretary to the Government

Memo No. स0क0स्था010–28 / 2008 ....3639.......... Patna, Dated 22.8.15

Copy to: e- gazette cell, Finance Deptt. GoB, Patna with C.D. and Hard copy for publication in Bihar official Gazette.

22/8/15

Additional Secretary to the Government

Memo No. स0क0स्था010–28 / 2008 ....3639.......... Patna, Dated 22.8.15

Copy to: Member Board of Revenue/All Principal Secretary/Secretary/Secretary, Bihar Public Service Commission, Patna/Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Bihar Patna for information.

22/8/15

Additional Secretary to the Government

Memo No. स0क0स्था010–28 / 2008 ....3639.......... Patna, Dated 22.8.15

Copy to: Accountant General (Accounts & Entitlement), Bihar Patna/Officer in-charge, Finance (Personal grievance fixation cell) Department, Bihar Patna/All Divisional Commissioner/Director, ICDS/Social Welfare/Social Security & Disability/ All District Magistrate/ All D.P.O's for information & necessary action.

22/8/15

Additional Secretary to the Government

Memo No. स0क0स्था010–28 / 2008 3639 Patna, Dated 22.8.15

Copy to: Private Secretary to Minister, DoSW/Principal Private Secretary to Departmental Secretary/All Departmental Officers for information.

22/8/15

Additional Secretary to the Government

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या– स0 क0 स्था0 10–28/2008 3639 **पटना, दिनांक** – 22.8.15

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन **बिहार बाल विकास सेवा संवर्ग** के गठन और उसमें भर्ती की प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार बाल विकास सेवा नियमावली, 2015

अध्याय–I

प्रारंभिक।

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ** ।– (1) यह नियमावली "बिहार बाल विकास सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2015" कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह नियमावली तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएँ।– इस नियमावली में जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो**
   (i) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;
   (ii) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
   (iii) "विभाग" से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट समाज कल्याण विभाग;
   (iv) "राजस्व पर्षद" से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजस्व पर्षद;
   (v) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;
   (vi) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार राज्य का समेकित बाल विकास संवर्ग;
   (vii) "संवर्ग के सदस्य" से अभिप्रेत है बिहार समेकित बाल विकास संवर्ग में इस नियमावली के उपबंधों के अधीन नियुक्त एवं पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत व्यक्ति;
   (viii) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा विभागीय प्रोन्नति के लिए सम्यक रूप से गठित समिति;
   (ix) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;

(x) "नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग;

(xi) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि;

(xii) "अधीनस्थ सेवा" से अभिप्रेत है सहायक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संवर्ग के कर्मी;

3. **सेवा का गठन।**—

(1) इस नियमावली के निम्नलिखित पदों पर नियमित रूप में विभिन्न ग्रेड में पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी इस संवर्ग में शामिल होंगे—

क्र0	पदनाम
1.	2.
1	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
2	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सहायक निदेशक
3.	उप निदेशक
4.	संयुक्त निदेशक

सेवा के विभिन्न पदों का वेतनमान एवं उनकी संख्या वही होगी, जो समय—समय पर सरकार द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

(2) यह सेवा राज्य स्तरीय सेवा होगी और समाज कल्याण विभाग के अधीन होगी।

(3) इस संवर्ग की संरचना/पदों की संख्या इत्यादि की समीक्षा निम्नलिखित रूप से गठित समिति आवश्यकतानुसार करेगी एवं राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा भेज सकेगी:—

(i) प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग —अध्यक्ष;

(ii) निदेशक, आई0सी0डी0एस0 —सदस्य;

(iii) वित्त विभाग द्वारा मनोनीत संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का पदाधिकारी —सदस्य;

(iv) समाज कल्याण विभाग द्वारा मनोनीत समेकित बाल विकास संवर्ग के उप निदेशक से अन्यून पंक्ति का पदाधिकारी —सदस्य;

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा मनोनीत अनु0जाति/जनजाति पदाधिकारी —सदस्य;

(vi) समाज कल्याण विभाग के स्थापना प्रभारी पदाधिकारी —सदस्य सचिव;

(4) संवर्गीय पदों पर संवर्गीय पदाधिकारी पदस्थापित किये जायेंगे, परन्तु सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार गैर संवर्गीय पदाधिकारियों को भी संवर्गीय पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा।

अध्याय–II

नियुक्ति

4. **नियुक्ति।**– (1) इस सेवा की "मूल कोटि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी" के 75 प्रतिशत पद आयोग की अनुशंसा पर सीधी नियुक्ति द्वारा तथा 25 प्रतिशत पद अधीनस्थ सेवा में से वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर भरे जायेंगे।

(2) सेवा के सभी पदों पर पुरूष एवं महिला दोनों अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा सकेगी।

(3) नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर यथा अधिसूचित आरक्षण के प्रावधान इस सेवा में लागू होंगे।

5. **सीधी नियुक्ति हेतु अर्हता एवं प्रक्रिया।**– **(1) उम्र सीमा**–सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के एक अगस्त को इक्कीस वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर नियत की जाय।

(2) शैक्षणिक योग्यता – इस सेवा की मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होगी। सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए आयोग के द्वारा विशिष्ट परीक्षा अथवा स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा सकेगी, जिसमें अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त बिहार लोक सेवा आयोग के वैकल्पिक विषयों में से निम्नलिखित विषयों में से कम–से–कम एक विषय लेना अनिवार्य होगा– (क) गृह विज्ञान (ख) मनोविज्ञान (ग) समाजशास्त्र (घ) श्रम एवं समाज कल्याण।

(3) लिखित परीक्षा– आयोग अपनी विहित प्रकिया के अनुसार लिखित परीक्षा का आयोजन कर सकेगा।

(4) साक्षात्कार– लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोग अपनी विहित प्रकिया के अन्तर्गत लेगा।

(5) चिकित्सा परीक्षा– आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार की जायेगी।

(6) विषय, पाठ्यक्रम तथा अंकों का निर्धारण– लिखित परीक्षा के लिए विषय, पाठ्यक्रम एवं उनके लिए अंकों का निर्धारण तथा साक्षात्कार के लिए अंकों का निर्धारण आयोग के परामर्श से विभाग द्वारा किया जायेगा।

(7) रिक्तियों की गणना एवं आयोग को इसकी सूचना– प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल तक विभाग उस वर्ष "बिहार बाल विकास सेवा" में सीधी नियुक्ति और प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगा और उसके अनुसार सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना आयोग को 30 अप्रैल तक प्रेषित करेगा।

(8) **नियुक्ति**– आयोग संयुक्त अथवा पृथक रूप से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर विहित प्रकिया अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा मेधा एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के विरूद्ध विभाग को करेगा।

6. अधीनस्थ सेवा से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया। –

(1) अधीनस्थ सेवा के सहायक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पद पर सेवा में कार्यरत एवं सम्पुष्ट पदाधिकारियों में से वरीयता–सह–अर्हता के आधार पर इस सेवा की मूल कोटि में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की जायेगी।
(2) प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु कर्मियों द्वारा सहायक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि पूर्ण करना तथा निरंतर एवं संतोषप्रद सेवा आवश्यक होगी।
(3) प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति–सहायक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी में से बिहार बाल विकास सेवा सम्वर्ग की मूल कोटि में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।
(4) प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत प्रोन्नति समिति के गठन तथा अन्य संबंधित प्रावधानों का पालन किया जायेगा।

अध्याय–III
वरीयता, सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति

7. वरीयता।– (1) इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए सदस्यों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के आधार पर विनिश्चित की जाएगी।

(2) एक सम्व्यवहार में प्रोन्नति से नियुक्त बेसिक ग्रेड के कर्मियों के बीच की आपसी वरीयता अधीनस्थ सेवा में उनकी आपसी वरीयता के आधार पर विनिश्चित की जायेगी।

(3) किसी वर्ष में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति से नियुक्त बेसिक ग्रेड के पदाधिकारियों के बीच की आपसी वरीयता का निर्धारण – किसी वर्ष में प्रोन्नति के आधार पर नियुक्त कर्मी उस वर्ष सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे।
(4) किसी विवाद की स्थिति में सदस्यों की वरीयता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार होगा।

8. परिवीक्षा अवधि।– (1) मूल कोटि के रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्त होने वाले प्रत्येक पदाधिकारी (प्रोन्नत पदाधिकारी को छोड़कर) पदग्रहण की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) परिवीक्षा अवधि में निम्नलिखित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा:–

(क) सीधी भर्ती से नियुक्त पदाधिकारियों के लिए:–

(1) संस्थागत प्रशिक्षण–एक माह

(2) बिपार्ड द्वारा प्रशिक्षण–तीन माह

(3) कोषागार प्रशिक्षण–एक माह

(4) जिला प्रोग्राम कार्यालय में प्रशिक्षण–एक माह

(5) ऑगनबाड़ी सेविका के रूप में स्वतंत्र प्रभार–एक माह

(6) महिला पर्यवेक्षिका के रूप में स्वतंत्र प्रभार–एक माह

(7) बाल विकास परियोजना कार्यालय में प्रशिक्षण (सहायक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का स्वतंत्र प्रभार) –एक माह

(8) बाल विकास परियोजना कार्यालय का स्वतंत्र प्रभार–तीन माह

परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर यदि किसी व्यक्ति की सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो विभाग उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकेगा परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। बढ़ायी गयी अवधि में भी किसी व्यक्ति की सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(ख) प्रोन्नति द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के लिए:–

(1) संस्थागत प्रशिक्षण–एक माह

(2) बिपार्ड द्वारा प्रशिक्षण–तीन माह

(3) कोषागार प्रशिक्षण–एक माह

(4) जिला प्रोग्राम कार्यालय में प्रशिक्षण–एक माह

(3) इस सम्वर्ग में नियुक्ति के बाद प्रथम वेतनवृद्धि के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि तभी मिलेगी जब राजस्व पर्षद के केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित निम्नांकित विषयों की परीक्षा में उच्च श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्यों के लिए यथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित) के साथ उत्तीर्णता प्राप्त कर ली जाय एवं कोषागार प्रशिक्षण भी पूर्ण कर लिया जाय–

(क) हिन्दी (लिखित)

(ख) हिन्दी साक्षात्कार

(ग) लेखा (पुस्तक सहित)

(घ) लेखा (पुस्तक रहित)

(ड.) उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त सरकार/विभाग द्वारा विनिश्चित संस्थान से कम्प्यूटर प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी।

9. सम्पुष्टि (इस सम्वर्ग में प्रोन्नत व्यक्ति को छोड़कर)।– परिवीक्ष्यमान रूप में नियुक्त व्यक्ति परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवा में सम्पुष्टि का पात्र होगा :–

(i) विभाग द्वारा प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण एवं कोषागार प्रशिक्षण का राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा सम्पुष्ट होना।

(ii) परिवीक्षा पर नियुक्त पदाधिकारी को परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर सम्पुष्टि किया जाय, यदि वह निर्धारित मापदंड एवं विभागीय परीक्षा तथा कम्प्युटर प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्ण हो।

(iii) समय–समय पर विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और प्रशिक्षण के उपरान्त यदि परीक्षा हो, तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो।

(iv) इस अवधि में उसका आचरण एवं सेवा संतोषजनक रहा हो।

10. प्रोन्नति।–

इस सेवा के द्वितीय पद सोपान एवं उसके ऊपर के सभी पद सोपानों पर नियुक्ति नीचे के पद सोपानों के पदाधिकारियों में से वरीयता–सह–अर्हता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर की जायेगी।

11. विहित कालावधि।– इस सेवा के विभिन्न पद सोपानों/पदों पर प्रोन्नति हेतु योग्य होने के लिए पदाधिकारियों द्वारा निचले पद सोपान पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर प्रोन्नति हेतु विहित न्यूनतम कालावधि पूरी करना एवं संतोषप्रद सेवा पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

12. विभागीय प्रोन्नति समिति।– इस सेवा अन्तर्गत विभिन्न पद सोपानों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

अध्याय–IV

प्रकीर्ण/अन्यान्य

13. प्रशिक्षण।– (1) इस सेवा के सदस्य को प्रशिक्षण के लिए राज्य में या राज्य से बाहर या विदेश में राज्य सरकार द्वारा भेजा जा सकेगा। प्रशिक्षण की समाप्ति पर किये गये मूल्यांकन को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ध्यान में रखा जा सकेगा।

(2) इस सेवा संवर्ग (बेसिक ग्रेड) के पदाधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात नियम–8 (2) के अनुसार परीक्ष्यमान अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित जॉब प्रशिक्षण लेना भी अनिवार्य होगा।

14. वेतन।— विभिन्न ग्रेड के पदों के वेतनमान वही होंगे जो सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किया जायेगा या सरकार द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित उनके समकक्ष वेतनमान के अनुसार होंगे। किसी भी वेतनमान में किसी पदाधिकारी का वेतन का निर्धारण सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा।

15. सेवा अवधि।— इस सम्वर्ग में नियुक्त पदाधिकारी की सेवा अवधि यथा राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित अथवा परियोजना की समाप्ति अथवा संचालन अवधि तक, जो पहले हो, होगी।

16. अनुशासन, अपील एवं शास्तियाँ।— संवर्ग के सभी सदस्यों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।

17. अवशिष्ट मामले।— जो विषय अथवा बिन्दु इस नियमावली में समाहित नहीं है उनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/निदेश में किए गए प्रावधान इस सेवा के संदर्भ में लागू होंगे।

18. कठिनाइयों/शंकाओं का निराकरण।— इस नियमावली के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित विसंगतियों/शंकाओं के निराकरण की शक्ति राज्य सरकार में निहित होगी।

19. निरसन एवं व्यावृत्ति।— (1) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित सभी नियमावली/संकल्प/आदेश एवं अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व की नियमावली, संकल्प, आदेश एवं अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई मानी जाएगी, मानों यह उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

22/8/15

(अमरनाथ मिश्र)
सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : स0क0रथा010–28/2008 3639 पटना, दिनांक 22.8.15

प्रतिलिपिः ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

22/8/15

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : स0क0स्था010–28/2008 3639 पटना, दिनांक 22.8.15

प्रतिलिपिः सदस्य, राजस्व प्रर्षद/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

22/8/15

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : स0क0स्था010–28/2008 3639 पटना, दिनांक 22.8.15

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 बिहार पटना/निदेशक, समाज कल्याण, बिहार पटना/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/8/15

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : स0क0स्था010–28/2008 3639 पटना, दिनांक 22.8.15

प्रतिलिपिः विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

22/8/15

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।